वादीया की ओर से श्री धर्मसिह बैरवा एड0

प्रतिवादीगण की ओर से श्री राकेश जैमन एड0

निर्णय

निर्णय दिनांक– 28.11.2025

दावा बाबत उद्घोषणा अभिलेख शुद्धि एवं स्थायी निषेधाज्ञा अ0धा0 88, 188 रा0का0अ0 एवं 136 रा0भू0रा0अ0

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हुए। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष इस आशय का वादपत्र पेश किया गया कि वाके ग्राम सिकराय डूंगर तह0 सिकराय जिला दौसा में जमाबंदी संवत 2064 से 2067 के खसरा नम्बर 270 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा स्थित है जो कि वादग्रस्त भूमि है। उक्त भूमि में दुर्जनसिह, अर्जुनसिंह, पि0 भीवसिंह कोम राजपूत राहिन एवं मोहरपाल पुत्र गंगोल्या गिर्राज पुत्र पून्या धन्ना, नानगा हिस्सा 1/2 व सुवालाल पुत्र जगन्या चमारान सा0 देह मुर्तहीन के रूप में अशुद्ध अंकित है। राहित खातेदार स्व0 दुर्जनसिंह अर्जुनसिंह का पिता शिवसिंह था जिकसे भीवसिंह गलत अंकित कर रखा है। मूर्तहीन धन्ना नानगा पृथकशः व्यक्ति नही है जबकि धन्ना के पिता का नाम नानगा था। मुर्तहिन मोहरपाल की मृत्यु हो गई है उसका उत्तराधिकारी राजेन्द्र वादी संख्या 2 है। राहिन खातेदार दुर्जनसिंह की मृत्यू भी अर्सा करीब 60 वर्ष पूर्व हो गई थी उसका उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 रामसिह है। मुर्तहीन अर्जुन सिंह की भी मृत्यु 60 वर्ष पूर्व हो गई उसका उत्तराधिकारी पुत्र मेघसिंह था जिसकी मृत्यू करीब 15 वर्ष पूर्व हो गई उसके उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

है। आराजी विवादग्रस्त मे मुर्तहीन खातेदार जनसी ने अपने हिस्सा 1/2 रकबा 4 बीघा 2.5 बिस्वा के आधिपत्य एवं खातेदारी सम्पति अधिकार दिनाक 12.08.69 को बिल एवज 500 रू में विकय कर विकय पत्र उप पजीयक कार्यालय तहसील सिकराय मे पंजीकृत करवा दिया उक्त विकय पत्र के आधार पर मुर्तहिन हिस्सा 1/2 के रूप में वादी संख्या 5 का नाम हिस्सा 1/2 के रूप में अंकित हो गया। हिस्सा 1/2 के मुर्तहीन के रूप में वादीगण संख्या 1 लगायत 4 का नाम अंकित है। विवादित आराजीयात पर वादीगण का कब्जा भू-प्रबन्ध संवत 2003 से 2022 से पूर्व यानि अर्सा करीब 70 वर्ष से चला आ रहा है। यह है कि आरजीयात की खातेदारी में बहैसियत मुर्तहिन भू-प्रबन्ध सं. 2003 के समय कल्याणसिंह पुत्र गुलाब सिंह था किन्तु कब्जकाश्त वादीगण का था। स्व0 कल्याणसिंह ने अपने अधिकार मुतहिन व आधिपत्य जगन्या पुत्र हुक्मा एवं जनसी पुत्र रामपाल जाति हरिजन(चमार) के नाम बिल एवज 400 रू में दिनांक 12.06.63 को विकय कर विकय प. निष्पादित किया जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 17.06.63 को हुआ एवं तदनुसार पटवारी हल्का ने नामान्तकरण संख्या 87 ग्राम सिकराय डूगर पर आपत्ति की जिसे तहसीलदार सिकराय ने अपने आदेश दिनांक 06.08.69 द्वारा निरस्त कर दिया। तत्पश्चात जनसी ने अपना हिस्सा 1/2 वादीगण को क्रय कर दिया, वादीगण विवादित आराजीयात पर अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। साथ ही वादीगण द्वारा वादपत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि वाद उदघोषणा एतद आशय कि वादीगण आराजी वादग्रस्त खसरा नम्बर 270 वाके ग्राम सिकराय डूंगर तह0 सिकराय के खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को कोई हित निहित नहीं है। उनके पूर्वजो के अधिकार विलुप्त होकर वादीगण को प्रतिकूल कब्जा सिद्धान्तानुसार हक खातेदारी एवं काश्तकारी प्राप्त हो चुके है। अनुतोष के पैरा संख्या ख में अनुतोष चाहा है कि वाद अभिलेख अंकन शुद्धि आरजी खसरा नम्बर 270 में राहिन दुर्जनसिंह, अर्जुनसिंह के पिता का नाम भीवसिंह के स्थान पर शिवसिंह किया जावे। एवं मुर्तहिन खातेदार धन्ना नानगा के स्थान पर धन्ना पुत्र नानगा अंकित किया जावे। एव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को स्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावे में अंकित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 के प्रावधानानुसार भी कानूनन स्वतः ही भूमि रहन मुक्त हो जाती है। तथा राहिन इन्द्राज को राजस्व रिकॉर्ड से स्वतः ही हटाया जाना आवश्यक है। ऐसे राहिन मुर्तहिन के इन्द्राजात के आधार पर वादीगण अथवा जनसी को कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। विवादित भूमि के मूल खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण है। विवादित भूमि से जनसी एवं वादीगण का कोई लेना देना एवं सरोकार नहीं रहा है व इनका कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। साथ प्रतिवादीगण की ओर से अतिरिक्त कथन एव प्रतिवाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया है कि विवादित भूमि से कानूनन राहिन मुर्तहिन के इन्द्राजात स्वतः ही समाप्त हो चुके है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम का राहिन मुर्तहिन के रूप में जो इन्द्राजात है वह कानूनन शून्य है ऐसे इन्द्राजात को हटाया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण को कानूनन यह अधिकार है कि वे वादीगण का नाम हजफ फरमाया जाकर भूमि की खातेदारी घोषित करवाए तथा राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करवाएं इसलिए वादीगण का वादपत्र मय हर्जा खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण का प्रतिवाद पत्र डिकी फरमाया जावे। एवं उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से वादीगण के बुजुर्गान एवं वादीगण का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादीगण को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित फरमाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जावे एवं वादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से पेश प्रतिवादपत्र का प्रतिवादौत्तर पेश किया गया। वादीगण के द्वारा पेश वादपत्र, जवाब दावा एवं प्रतिवादपत्र तथा प्रतिवादौत्तर के आधार पर पत्रावली में निम्नाकित तनकीयात कायम कर विवेचित की गई–

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

आधार पर वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम घोषित कराने के अधिकारी है।

2. आया विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। वादीगण

4. आया उक्त विवादित भूमि के मूल खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण है वादीगण के इन्द्राजात कानूनन स्वतः ही निरस्त हो चुके है। उक्त भूमि पर वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी नहीं है। वादीगण

5. आया उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से वादीगण एवं वादीगण के पूर्वजों का नाम हजफ करवाकर उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण अपने नाम अर्थात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। उक्त भूमि कानूनन स्वतः रहन मुक्त हो चुकी है। प्रतिवादीगण

उक्तानुसार तनकीयात कायम कर पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य पी0 डब्लू 1 सुवालाल बैरवा पुत्र जमन्या बैरवा पी0 डब्लू 2 तेजराम बैरवा पी0 डब्लू 3 श्रीया बैरवा पेश किए गए। दिनांक 22.05.2024 को साक्ष्यवादी गवाह जिरह हेतु उपस्थित नही होने पर जिरह बंद की गई। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किया जाना जाहिर किया। उभयपक्ष की बहस दावा सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दावा का मनन किया गया । पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानूपर्वक

अवलोकन किया गया। उभयपक्षो के अभिवचनो एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण का तनकीवार विवेचना निम्नुनसार है–

1. आया वादीगण बजमाने बुजमाने बुजुर्गान से अर्से दराज से राहिन मूर्तहिन के रूप मे विवादित आराजी पर काबिज चले आ रहे है राहिन मूर्तहीन के इंद्राजात के आधार पर वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम घोषित कराने के अधिकारी है।

वादीगण

तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा पेश वादपत्र में वादीगण द्वारा कब्जे के आधार पर एवं मुर्तहीन के इन्द्राज के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा गया है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में पेश दस्तावेजात को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। वादपत्र में वादीगण द्वारा यह कथन अंकित किया है कि वादीगण द्वारा यह भूमि जनसी से कय की गई है जनसी उक्त भूमि का मुर्तहीन खातेदार था मूल खातेदार नहीं। पत्रावली में जवाब स्टेट भी संलग्न है जवाब स्टेट में यह अंकित किया है कि विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 270 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 350 रकबा 0.17 है0, ख0न0 351 रकबा 1.93 है0 वाके ग्राम सिकराय डूंगर तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जो कि अजुनसिंह दुर्जनसिंह पि0 भीवासिंह जाति राजपूत की खातेदारी की भूमि है। जवाब स्टेट के बिन्दु संख्या 5 मे यह अकित किया गया है कि मुर्तहीन खातेदार नही होता है इसलिए मुतहीन को विकय पत्र रजिस्टर्ड करवाने का कोई हक ही नहीं है इसलिए वादपत्र का पैरा संख्या 5 अस्वीकार है। वादीगण द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है कि जिससे यह साबित होता है कि विवादित भूमि वादीगण अथवा वादीगण के पूर्वजों के नाम रही हो। वादीगण द्वारा सिर्फ मुर्तहीन इन्द्राज एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही गई है जो कि नियमानुसार देय नहीं है। इसलिए तनकी संख्या 1 वादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

2. आया विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है।

वादीगण

तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जा चुकी है। इसलिए चूंकि वादीगण का विवादित भूमि मे किसी प्रकार का खातेदारी हक अधिकार नहीं है इसलिए विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी नहीं है। इसलिए तनकी संख्या 2 वादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

3. आया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है।

वादीगण

तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 1 एवं तनकी संख्या 2 वादीगण के खिलाफ निर्णित की जा चुकी है। इस तनकी में वादीगण द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है लेकिन वादीगण द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेजात पेश नहीं किए है जिससे भूमि वादीगण की खातेदारी साबित होती है। ऐसी सूरत में बिना खातेदारी हक के स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं है। इसलिए तनकी संख्या 3 वादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

4. आया उक्त विवादित भूमि के मूल खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण है वादीगण के इन्द्राजात कानूनन स्वतः ही निरस्त हो चुके है। उक्त भूमि पर वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी नहीं है।

प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा पेश जवाब दावे एवं प्रतिवादपत्र में यह अंकित किया है विवादित भूमि के मूल खातेदार प्रतिवादीगण है जो कि पत्रावली के अवलोकन से बखूबी साबित है। जवाब स्टेट में भी यह स्वीकार किया गया है। तथा मुर्तहिन इन्द्राज के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। इसलिए तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

5. आया उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से वादीगण एवं वादीगण के पूर्वजों का नाम हजफ करवाकर उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण अपने नाम अर्थात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। उक्त भूमि कानूनन स्वतः रहन मुक्त हो चुकी है।

प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे एवं प्रतिवाद पत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है न ही कोई दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाए गए है। इसलिए साक्ष्य के अभाव में तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

अतः दावा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पेश प्रतिवाद पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ0 नवनीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी